फ़ाइल सं.: 26001/01/2019-20/एनसीवीईटी
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
भारत सरकार

12 मई, 2023
नई दिल्ली

व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण से संबंधित सभी इकाइयों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस संबंध में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) की अधिसूचना

1. एक राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) विकसित करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) ने 20 मार्च, 2023 को आयोजित 8वीं बैठक में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क की रिपोर्ट अपनाने और इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई बिन्दुओं को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा भी दिनांक 10 और 21 अप्रैल, 2023 के आदेश सं. फा. सं. 2-3/2022 (क्यूआईपी) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।
2. राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के मूलभूत सिद्धान्त और प्रावधान विशेष रूप से निम्नलिखित पहलुओं के संदर्भ में राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ़) सहित सभी अर्हता फ्रेमवर्क्स पर लागू होंगे:
    i. सभी प्रकार के अधिगम का क्रेडिटाइजेशन; निर्बाध एकीकरण के लिए सभी अधिगम के लिए क्रेडिट स्तर असाइन किया जाना,
    ii. प्राप्त किए गए संगत अनुभव और दक्षता/पेशेवर स्तरों सहित अनुभव के साथ अधिगम के साथ-साथ शैक्षणिक क्षेत्र और कौशलीकरण के सभी आयामों में अधिगम का एकीकरण।
    iii. राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित तथा अनुमोदित अर्हताओं सहित व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशलीकरण अर्हताओं के स्कूली शिक्षा,

तकनीकी शिक्षा (इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटैक्निक संस्थानों) और उच्च शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) सहित सभी स्तरों पर अकादमिक शिक्षा में एकीकरण के प्रावधान।

iv. सभी अर्हता फ्रेमवर्क्स में लागू एक एकल क्रेडिट स्तर अर्थात एनसीआरएफ क्रेडिट स्तर असाइन करना।

v. क्रेडिट्स का असाइनमेंट, संचय, संग्रहण, अंतरण और इन्हें रिडीम करवाना - क्रेडिट्स का असाइनमेंट विषय-क्षेत्रों, विषयों या किसी भी अधिगम से स्वतंत्र होगा, और यह निश्चित रूप से आकलन के शर्तांधीन होगा।

vi. मिश्रित अधिगम के लिए क्रेडिट्स का असाइनमेंट।

vii. स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/कौशलीकरण को शामिल करते हुए अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के माध्यम से राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को प्रचालन में लाना।

viii. स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/कौशलीकरण में क्रेडिट्स के असाइनमेंट के लिए कुल सांकेतिक अधिगम घंटे एक समान होंगे।

ix. क्रेडिट्स अर्जित करने के लिए आकलन अनिवार्य है।

x. शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशलीकरण कार्यक्रमों में समानता। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी सुनिश्चित करना।

xi. विभिन्न प्रवेश और विभिन्न निकास (एमई-एमई) विकल्प।

xii. बहुविषयक और समग्र शिक्षा का प्रावधान।

xiii. क्रेडिट्स के असाइनमेंट और क्रेडिट स्तरों के उद्देश्य से अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात कला, वाणिज्य, मानविकी और विज्ञान आदि, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषय-क्षेत्रों, शैक्षणिक तथा सह-शैक्षणिक के बीच कोई सख्त प्रथक्करण नहीं।

xiv. पाठ्यक्रमों के चयन में लचीलेपन/अपने स्वयं के अधिगम क्षेत्र और कार्यक्रम चुनने के लिए छात्रों का सशक्तिकरण। कार्यक्रम के बीच में पाठ्यक्रम बदलने का विकल्प।

xv. जो शिक्षार्थी औपचारिक शिक्षा तथा कौशलीकरण तंत्र से बाहर हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए पूर्व शिक्षण, एनसीआरएफ के क्रेडिट स्तरों को मान्यता देने और इस हेतु क्रेडिट असाइन करने के लिए प्रावधान। अपस्किलिंग के साथ या इसके बिना पूर्व-शिक्षण की मान्यता के लिए प्रावधान।

xvi. प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, डिग्री प्रदान किए जाने के लिए पूर्व में क्रेडिटाइज़ नहीं किए जाने वाले अन्य अधिगम हेतु अवसर, प्रगति के मार्ग बनाने के लिए आकलन

के शर्ताधीन क्रेडिटाइजेशन की सुविधा दी जाती है और जीवनपर्यंत अधिगम को प्रोत्साहित किया जाता है।

xvii. बेहतरीन अधिगम क्षमताओं वाले छात्रों के लिए शिक्षा में तेजी का समर्थन करता है; दिव्यांगजनों के लिए समान स्तर और क्रेडिट्स की संख्या का भी समर्थन करता है, चाहे दिव्यांगजनों के लिए समान परिणाम स्तर प्राप्त करने हेतु अधिक अधिगम घंटों की जरूरत हो।

xviii. असाधारण बच्चों/छात्रों/शिक्षार्थियों/व्यक्तियों के लिए अधिगम परिणाम आधारित विशेष आकलनों के माध्यम से हैकथोन और विषय संबंधी ओलंपियाड आदि के प्रावधानों का समर्थन करता है।

xix. खेल, भारतीय ज्ञान प्रणाली, संगीत, विरासत और पारंपरिक कौशल, प्रदर्शन और ललित कला, मास्टर शिल्पकार आदि सहित, परंतु इन तक सीमित नहीं, किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियाँ हासिल करने वालों के लिए संभावनाओं का प्रावधान करता है।

3. राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क में एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित तथा अनुमोदित सभी स्तरों पर सभी व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशलीकरण संबंधी अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन का प्रावधान किया गया है। इसलिए एनसीवीईटी सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य विभागों और औद्योगिक निकायों में एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित तथा अनुमोदित कौशलीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की सुविधा देती है।
4. राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ़) को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के साथ संरेखित करने के लिए परिषद् प्रवेश के मानदंडों, सांकेतिक घंटों, एनएसक्यूएफ/एनसीआरएफ स्तरों और एनएसक्यूएफ स्तर वर्णनकर्ताओं में एनसीआरएफ स्तरों के अनुसार संशोधन जैसे अर्हता मानकों का मानकीकरण भी अधिसूचित करेगी। इसमें अर्हता टेम्पलेट्स में संशोधन और माइक्रो क्रेडेंशियल्स, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) आधारित अर्हताओं से संबंधित अर्हताओं के लिए नए टेम्पलेट्स विकसित करना भी शामिल होगा।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दिनांक 10 और 21 अप्रैल, 2023 के आदेश सं. फा. सं. 2-3/2022 (क्यूआईपी) के माध्यम से अधिसूचित राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) रिपोर्ट (अनुबंध) को एतदद्वारा अंगीकार किया जाता है और अवार्डिंग निकायों (एबी), आकलन एजेंसियों (एए), प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) और केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य विभागों सहित अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों सहित व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण से संबंधित सभी इकाइयों द्वारा इसके प्रभावी कार्यान्वयन

के लिए व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण तंत्र के संबंध में अधिसूचित किया जाता है।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

हस्ता./-

लेफ्टिनेंट कर्नल गुंजन चौधरी
निदेशक, एनसीवीईटी